रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21022023-243770
CG-DL-E-21022023-243770

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 92] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 21, 2023/फाल्गुन 2, 1944
No. 92] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 21, 2023/PHALGUNA 2, 1944

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2023

सा.का.नि. 114(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 (2021 का 29) की धारा 8 के साथ पठित धारा 25 की उपधारा (2) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (अध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्यों और सदस्य-सचिव की नियुक्ति, वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2021 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1.संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (अध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्यों और सदस्य-सचिव की नियुक्ति, वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम, 2023 है।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (अध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्यों और सदस्य-सचिव की नियुक्ति, वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2021 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 16 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"**17. चिकित्सीय सुविधा.-** अध्यक्ष और पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्य केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा सहायता) नियम, 1944 में यथा उपबंधित चिकित्सीय सुविधाओं के हकदार होंगे ।"।

3. उक्त नियमों के नियम 6 में, "एक लाख रुपए" शब्दों के स्थान पर "एक लाख रुपए प्रति मास" शब्द रखे जाएंगे ।

4; उक्त नियमों के प्ररूप 1 में, "(नियम 15 देखें)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर "(नियम 14 देखें)" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ।

[फा.सं. क्यू-15014/10/2020-सीपीडब्ल्यू]

नरेश पाल गंगवार, अतिरिक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 593(अ), तारीख 27 अगस्त, 2021 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं. सा.का.नि. 759 (अ), तारीख 25 अक्टूबर, 2021 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st February, 2023

G.S.R. 114(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (2) of section 25 read with section 8 of the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas Act, 2021 (29 of 2021), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas (Appointment, Salary, Allowances and other Terms and Conditions of Service of Chairperson, Full-time Members and Member-Secretary) Rules, 2021, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas (Appointment, Salary, Allowances and other Terms and Conditions of Service of Chairperson, Full-time Members and Member-Secretary) Amendment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas (Appointment, Salary, Allowances and other Terms and Conditions of Service of Chairperson, Full-time Members and Member-Secretary) Rules, 2021 (herein after referred to as the said rules), after rule 16, the following rule shall be inserted, namely:—

"**17. Medical Facility.—** The Chairperson and Members other than ex-officio Members shall be entitled to the medical facilities as provided in the Central Service (Medical Attendance) Rules, 1944.".

3. In rule 6 of the said rules, for the words "one lakh rupees", the words "one lakh rupees per annum" shall be substituted.

4. In Form-I of the said rules, for the brackets, words and figures "(see rule 15)", the brackets, words and figures "(see rule 14)" shall be substituted.

[F. No. Q-15014/10/2020-CPW]

NARESH PAL GANGWAR, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R.593(E), dated the 27th August, 2021 and last amended vide notification number G.S.R.759(E), dated 25th October, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.02.21 22:52:40 +05'30'